न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 44/2021

GCMS No. 2021/102

प्रार्थीः– — **बनाम** — **अप्रार्थीगणः–**

तहसीलदार रानी

1. रघुनाथसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राव निवासी नादान भाटान
2. सरंपच ग्राम पंचायत नादाना भाटान

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित –

प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांकः– 20-2-24

प्रार्थी ने यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत नादान भाटान द्वारा मिसल संख्या 398/18–19 संकल्प संख्या 1 दिनांक 20.11.2019 की पालना में अप्रार्थी रघुनाथसिंह पुत्र मूलसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 346–59 दिनांक 22.11.2019 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता को वास्ते बहस पुर्व में पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी वक्त बहस न्यायालय में उपस्थित नही रहने से सरकारी पैरोकार की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम नादान भाटान द्वारा अप्रार्थी रघुनाथ सिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 346–59 क्षेत्रफल 2684 वर्गफुट दिनांक 22.11.2019 को जारी किया था जिसके सन्दर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर डी.बी. सिविल रिट संख्या 9059/2020 अमरसिंह बनाम सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 11.09.2020 की पालना में निरीक्षक भु.अ. खौड एवं हल्का पटवारी द्वारा जांच करवायी गयी जिसमें पाया गया कि अप्रार्थी संख्या 01 ने ग्राम नादान भाटान के खसरा नम्बर 398 रकबा 4.1097 किस्म गै.मु. ओरण में से 1216 वर्गमीटर भुमि पर काटों की बाड बनाकर अतिक्रमण कर रखा है, जिसके संबध में तहसीलदार द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के खिलाफ राज. भु–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही करने पर अप्रार्थी ने उक्त आराजी का स्वंय के नाम पट्टा जारी होना बताया एवं पट्टे की प्रति पेश की। जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर जारी किया है जो खारिज योग्य है। जैर निगरानी आराजी के संबध में डी.बी सिविल रिट पिटीशन संख्या 9059/2020 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 23.07.2019 पारित कर गुलाब कोठारी बनाम सरकार व अन्य डी.बी. सिविल रीट पिटीशन संख्या 1554/2004 निर्णय दिनांक 21.07.2017 द्वारा केचमेन्ट एरिया की भुमि की पुर्व स्थिति बहाल करने एवं अतिक्रमण को हटाने के निर्देश जारी किये है। उक्त आराजी में पुर्व की स्थिति बहाल करने हेतु जैर निगरानी पट्टा खारिज किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा खसरा संख्या 398,399 किस्म गैर मुमकिन ओरण में आया हुआ हैं जो चारागाह हेतु आरक्षित भुमि है तथा प्रतिबंधित श्रैणी की भुमि होने सें ग्राम पंचायत नादान भाटान को किसी के पक्ष में पट्टा जारी करने का अधिकार नही है। ग्राम पंचायत नादान भाटान ने अप्रार्थी रघुनाथसिंह पुत्र

अति. जिला कलक्टर, पाली

मूलसिंह को अनुचित लाभ पहुंचाने कि नियत से पंचायती राज नियमों का उलंघन करते हुए अप्रार्थी संख्या 01 को पट्टा जारी कर दिया जो काबिल खारिज योग्य है। इस संबंध में कोई प्रस्ताव है न कोई मिसल संधारित हुई है न कोई आज्ञापक कार्यवाही की गई है। अप्रार्थी की ओर से न तो कोई आवेदन पेश किया गया न ही कोई नक्शा बनाने हेतु शुल्क जमा कराया गया, मिसल का अवलोकन से स्पष्ट है कि समस्त कार्यवाही पंचायती राज नियमों के विरूद्ध जाकर अर्थात किसी प्रकार की कोई आज्ञापक प्रक्रिया नही अपनाई गई है जिससे भी निगरानीग्रस्त प्रस्ताव मय पट्टा निरस्त योग्य है। अप्रार्थी को जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है वह आबादी भूमि नही होकर ग्राम नादान भाटान की गैर मुमकिन ओरण भूमि है। गैर मुमकिन ओरण भूमि में किसी प्रकार का पट्टा जारी नही किया जा सकता है जिससे भी जैर निगरानी पट्टा निरस्त योग्य है। पट्टे की पुश्त पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर नही किए हुए है। अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम पचांयत नादान भाटान द्वारा संकल्प संख्या 01 दिनांक 20.11.2019 की पालना में जारी पट्टा संख्या 346–59 दिनांक 22.11.2019 को निरस्त फरमावें।

अप्रार्थी अधिवक्ता वक्त बहस अनुपस्थित होने से प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार की बहस एवं पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजो व ग्राम पंचायत के मूल रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत के रेकर्ड एवं पत्रावली के संलग्न ग्राम नादान भाटान पटवार हल्का नादान भाटान की जांच रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टे की भूमि की किस्म गै.मु.ओरण है जो प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कांटो की बाड़ बनाकर कब्जा कर रखा है, जिस पर राज. भु–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त आराजी का ग्राम पंचायत नादान भाटान द्वारा पट्टा जारी करना बताया जिसका आवासीय पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को अधिकार नही है, लेकिन ग्राम पंचायत ने नियमो से परे जाकर व अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाते हुए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में विहित प्रावधानों व प्रकिया की अनदेखी व अवहेलना करते हुए अप्रार्थी के नाम गै.मु.ओरण भूमि का नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी के नाम जारी पट्टे की भूमि गै.मु.ओरण है जो आबादी भूमि नही होकर प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है जिसका पट्टा ग्राम पचांयत को जारी करने का अधिकार नही है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है, जिसे यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह पंचायत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत नादान भाटान द्वारा मिसल संख्या 398/2018–19 सकंल्प संख्या 1 दिनांक 20.11.2019 की पालना में अप्रार्थी रघुनाथसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 346–59 दिनांक 22.11.2019 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का मूल रेकर्ड लौटाया जावे।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 20-2-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली